(199) (75)

न्यायालय श्रीमान माननीय राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा म०प्र०

प्र०क्र० – II/निग०/सिंगरौली/भू-रा०/2018/0821

सुनील कुमार तनय लक्षिमन साहू निवासी ग्राम गड़हरा तहसील व जिला-सिंगरौली म०प्र० ===== निगरानीकर्ता

बनाम

सुरेन्द्र कुमार पिता कान्ती निवासी ग्राम गडहरा तहसील व जिला सिंगरौली म०प्र० ====गैरनिगरानीकर्ता

अधिवक्ता सराणकुमार साहू द्वारा पेश 02.07.18

कलर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी अन्तर्गत आदेश अपर कलेक्टर महोदय जिला सिंगरौली म०प्र० के प्र० क्र० 0002/अपील / 2016-17 आदेश दिनांक- 20-12-17

निगरानी अन्तर्गत धारा- 50 म०प्र० भू० रा० संहिता 1959 ई०.

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है:-

1:- यहकि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश विधि, विरुद्ध होने से व प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है।

2:- यहकि आराजी खसरा क्रमांक- 455 रकबा 0.10 हे० स्थित ग्राम गडहरा तहसील व जिला सिंगरौली की भूमि है, जिसके भूमिस्वामी कैलाश और सहित अपीलान्ट के सहखाते की कृषि भूमि है। जिसके अंश भाग 0.01 हे० पर अर्सा 15-16 वर्ष पूर्व से मकान बनाकर परिवार सहित निगरानीकर्ता आबाद है। वर्ष 2005 में पारिवारिक विवाद व मारपीट के दौरान एक व्यक्ति की मृत्यु मारपीट दिनांक के 14 दिन बाद हो जाने के कारण निगरानीकर्ता भारतीय दंड विधान की संहिता 302 के अपराध में जेल में बन्द हो गया, एवं विचारण के दौरान जेल में बन्द रहा। एवं दिनांक- 19-2-2009 को आजीवन कारावास का दंड पारित हुआ। तब से वह लगातार केन्द्रीय जेल रीवा में बन्द था। इसी दरमियान गैरनिगरानीकर्ता ने 23/9/2013 को

क्रमशः:2..पर

(75)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक II/निग०/2018/0821 जिला– सिंगरौली

सुनील कुमार विरूद्ध सुरेन्द्र कुमार

(1)	(2)	(3)
15-1-19	1. आवेदक की ओर से श्री [illegible] अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कलेक्टर/ अपर कलेक्टर, जिला सिंगरौली के प्रकरण क्रमांक 02/अपील/16-17 में पारित आदेश दिनांक 20-12-17 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 28-3-19 को कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	

~~रीवा में बन्द था। इसी दरमियान गैरआवेदकगण ने 23/9/2013 को~~

~~क्रमशः 2.. पर~~